□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न □ख्□□: 73

21 □□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□ □म्□□□

73. श्र□ □□□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन अंग प्रत्यारोपण के मामलों जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान त्वरित परिवहन के अभाव म बड़ी संख्या म लोगों को मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का इस समस्या को कम करने के लिए एयर एम्बुलस सेवा कायान्वित करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे ह?

<u>□त्त□</u>

स्वास्थ्य और परिवार □ल□□□ □□ज□ □त्र्□ (श्र□ □श्वि□□ □□□□□ □□□)□

(क) से (ख): सरकार अवगत है कि प्राकृतिक आपदा और आपात अंग प्रत्यारोपण मामले आदि जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान शीघ्र स्थानांतरण ऐसी स्थापनाओं म मानव मृत्यु निवारण हेतु कारगर होता है।

(ग) से (घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय म एयर एंबुलस सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव नहों है।

(ङ): भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 9305 ‘‘डायल-108’’ एंबुलस और 10589 ‘‘डायल-102/104’’ एंबुलस सेवाओं को सहायता करती है जो मेडिकल, सर्जिकल (ट्रॉमा सहित), बाल रोग और प्रसूति विज्ञान आपात स्थितियों के लिए अस्पताल पूव चिकित्सा रोगी स्थानांतरण/ रेफरल सेवा हेतु पहले से तैनात रहती है। इसके अतिरिक्त, रोगियों के यातायात, विशेषकर गभवती महिलाओं और बीमार नवजातों को घर से जन स्वास्थ्य कद्र और वापस छोड़ने के लिए 5957 पैनलबद्ध वाहन ह।

सरकार अंग क्षतिपूर्ति, प्रत्यारोपण और ऊतक बकिग के लिए अवसंरचना सुधार हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जहां तक कानून द्वारा अनुमति है, लक्ष्य है कि अंगों के यातायात को अपेक्षा को न्यूनतम बनाने के लिए अंगों को स्थानीय रूप से और राज्य के भीतर ही रखा जाए।

*****